

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।


अधिसूचना

राँची, दिनांक— 15 / 10 / 2024 ई०।

1. सं० संख्या—13/पी१—102/2020— 5869 / श्री मनोज स्वर्गियारी, भा०पु०से०(2018), पुलिस अधीक्षक, रेल, धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है।


वैसे पदाधिकारी जिनके स्थान पर किसी अन्य का पदस्थापन हो गया है एवं उनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, वे पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड, राँची में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


15. x. 24


(ओम प्रकाश तिवारी)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक — सं० संख्या—13/पी१—102/2020— 5869 / राँची, दिनांक— 15/10/2024 ई०।
प्रतिलिपि :—महालेखाकार, झारखण्ड, पो०—डोरण्डा, राँची / वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15. x. 24

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक — सं० संख्या—13/पी१—102/2020— 5869 / राँची, दिनांक— 15/10/2024 ई०।
प्रतिलिपि :— प्रतिलिपि:—नोडल पदाधिकारी, ई—गजट, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव / माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव / संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग / स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन, नई दिल्ली / महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची / महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, झारखण्ड, राँची / महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची / महानिदेशक—सह—महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा, झारखण्ड, राँची / अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिं०, राँची / सभी अपर पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड, राँची / सभी पुलिस महानिरीक्षक / सभी क्षेत्रीय पुलिस उप—महानिरीक्षक / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / सभी पुलिस अधीक्षक / सभी समादेष्टा, झारखण्ड / संबंधित पदाधिकारी / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल / नोडल पदाधिकारी, एच०आर०एम०एस०, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची / अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा—14, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


15. x. 24

सरकार के उप सचिव।